

प्रेस नोट –

थाना बरुआसागर

दिनांक- 22.01.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, झाँसी के कुशल निर्देशन में अपराध, अपराधियों एवं अवैध शराब के विरुद्ध जनपद झाँसी पुलिस द्वारा की जा रही प्रभावी कार्यवाही के क्रम में दिनांक 22.01.2025 थाना बरुआसागर पुलिस द्वारा 01 नफर अभियुक्त कौशल उर्फ कस्टर पुत्र शंकरलाल कुशवाहा उम्र करीब 40 वर्ष निवासी मो0मातवाना कस्बा व थाना बरुआसागर जिला झाँसी को 10 ली0 अवैध कच्ची शराब सहित गिरफ्तार कर थाना बरुआसागर पर 17/2025 धारा धारा 60(1) आबकारी अधिनियम का पंजीकृत किया गया।

मु0अ0सं0 –

मु0अ0सं0-17/25 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम

नाम व पता अभियुक्त –

1. कौशल उर्फ कस्टर पुत्र शंकरलाल कुशवाहा उम्र करीब 40 वर्ष निवासी मो0मातवाना कस्बा व थाना बरुआसागर जिला झाँसी

बरामदगी – कुल 10 ली0 अवैध कच्ची शराब

गिरफ्तारी का स्थान – कम्पनीबाग के पीछे नहर किनारे थाना बरुआसागर

कार्यवाही करने वाली टीम के अधि0/कर्म गण का नाम-

1.उ0नि0 श्री रामकृपाल सिंह थाना बरुआसागर जिला झाँसी।

2.हो0गा0 935 प्रदीप सिंह थाना बरुआसागर जिला झाँसी